

मनरेगा के तहत व्यक्तिगत लाभ के लंबित प्रकरणों की होगी जांच पात्र लोगों को लाभ दिया जायेगा

-ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री

जयपुर, 16 मार्च। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री रमेश चंद मीणा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि सिरोही विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा के तहत व्यक्तिगत कार्यों के कई प्रकरण विभिन्न कारणों से लंबित है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि सभी लंबित प्रकरणों की जांच कर संबंधित पात्र व्यक्ति को नियमानुसार लाभ दिया जायेगा

श्री मीणा ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि सिरोही विधानसभा क्षेत्र में योजना के तहत अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, घुमन्तु जनजाति सहित विभिन्न वर्गों के व्यक्तिगत लाभ में नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना में अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, घुमन्तु जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे अन्य कुटुंब , महिला प्रधान वाले कुटुंब , शारीरिक रूप से विकलांगता प्रधान वाले कुटुंब सहित विभिन्न वर्गों के व्यक्तिगत लाभ से जुड़े कार्यों के लिए कई मापदंड निर्धारित है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत इस प्रकार के कई कार्य स्वीकृत हैं। उन्होंने कहा कि योजना में निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही कार्य स्वीकृत किए जाते हैं तथा इस प्रक्रिया में कुछ समय अवश्य लगता है।

श्री मीणा ने बताया कि व्यक्तिगत लाभ के प्रकरण विभिन्न कारणों से लंबित है। कई प्रकरणों में संबंधित विभाग से एनओसी नहीं मिली है। साथ ही, कई प्रकरणों की पुनरावृत्ति हो रही हैं और कई अन्य में कारण भी हैं।

इससे पहले श्री मीणा ने विधायक श्री संयम लोढा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सिरोही विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2021 में पंचायत समिति शिवगंज व सिरोही को माह दिसम्बर, 2021 तक स्वीकृती हेतु भेजे गए कार्यों के नाम , पंचायत समिति में प्रस्ताव प्राप्ति की दिनांक एवं कार्यों की भौतिक स्थिति (स्वीकृती से शेष/ प्रारम्भ/ अप्रारम्भ) का पंचायत समितिवार , ग्राम पंचायतवार तथा कार्यवार विवरण सदन के पटल पर रखा।

__&&&&__